"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 सितम्बर 2006—भाद्र 24, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2006

क्रमांक ई-7/52/2004/1/2.—श्री सोनमणि वोरा, भा. प्र. से., कलेक्टर, कबीरधाम को दिनांक 25-7-2006 से 8-8-2006 तक (15 दिवस) का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वोरा, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, कबीरधाम के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

3. अवकाश काल में श्री वोरा, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वोरा, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2006

क्रमांक 832/679/2006/1-8/स्था.—श्री गेबनुस खलखो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को दिनांक 19-7-2006 से 21-7-2006 तक 3 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खलखो को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री खलखो अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2006

क्रमांक 844/596/2006/1-8/स्था.—श्री आर. पी. वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 12-6-2006 से 16-6-2006 तक 5 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वर्मा को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

वन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2006

क्रमांक/3708/2006/10-2.—राज्य में वनौषधियों के संरक्षण, संवर्धन, कृषिकरण, विनाश विहीन विदोहन, भण्डारण प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, निर्माण, विपणन एवं नियामन में वन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा सभी क्षेत्रीय वन मण्डल के वनमण्डलाधिकारियों को, अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड का पदेन कार्यपालन अधिकारी (Ex-officio Executive Officer) घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिंज, प्रमुख सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2006

क्रमांक एफ 1-111/31/स्था./ज.सं.वि./2006.—राज्य शासन द्वारा, विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री पी. आर. अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता (सिविल) को, स्थानापन्न मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर, वेतनमान रुपये 16400-450-20,000/- में पदोन्नत करते हुये, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, मुख्य अभियंता (प्रबोधन) कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर में पदस्थ किया जाता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2006

क्रमांक 1777/1438/32/05.—छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 9-8-2002 में किये गये उपांतरण स्थलों में संशोधन करते हुए मूलभूत भू-उपयोग में परिवर्तन हेतु छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप भाग (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-1055/1438/32/2005 दिनांक 25-5-2006 द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में 75 स्थलों में उपांतरण प्रस्तावित किया गया तथा जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई.

सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि के भीतर प्रस्तावित उपांतरणों से संबंधित 45 प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई कर, उन पर सम्यक् रूप से विचार किया गया. पूर्ण विचारोपरान्त प्राप्त सभी आपत्तियों में से 3 आपत्तियों को मान्य किया गया, जो निम्नानुसार हैं :—

1. प्रस्तावित उपांतरण सूचना के सरल क्रमांक-50, उपांतरण क्रमांक-07 ई शंकरनगर में 23 (क) के तहत भूमि उपयोग उपांतरण प्रस्ताव सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक के स्थान पर, पूर्व अनुसार प्रस्तावित रेल्वे स्टेशन मान्य किया जाता है.

2. प्रस्तावित उपांतरण सूचना के सरल क्रमांक-51, उपांतरण क्रमांक-09, लाभाण्डीह में शासन द्वारा दिनांक 22-3-2006 को खसरा क्रमांक-201/2, 209/1, 209/2, 209/4, 219/2 रकबा 1.492 हेक्टेयर का सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक) हेतु किये गये उपांतरण के अनुसार वर्तमान भू-उपयोग यथावत् मान्य किया जाता है.

3. प्रस्तावित उपांतरण सूचना के सरल क्रमांक-56, उपांतरण क्रमांक-23 (क) डुमरतराई में शासन द्वारा दिनांक 20-4 2005 को खसरा क्रमांक-65, 66/1 रकबा 1.6 हेक्टेयर का वाणिज्यिक हेतु किये गये उपांतरण के अनुसार वर्तमान भू-उपयोग यथावत् मान्य किया जाता है.

राज्य शासन एतद्द्वारा उपरोक्तानुसार मान्य किये गये आपत्तियों के साथ रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में उपरोक्त 75 प्रस्तावित उपांतरण में संशोधन करते हुए नीचे दी गई तालिका के अनुसार उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 का अंगीकृत भाग होगा.

तालिका

रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में उपांतरण

क्र.	छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 9-8-2002 में जारी अधिसूचना के तहत किये गये उपांतरण क्रमांक एवं ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हेक्टर में (लगभग)	विकास योजना (उपांतरित) 2011 (75 उपान्तरणों सहित) के अनुसार भूमि उपयोग	23-क के तहत भूमि उपयोग उपान्तरण प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	02 (अ) दलदलसिवनी	18.00	कृषि	आवासीय
2.	04 (ब) दलदलसिवनी	6.00	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	आवासीय
3.	05 मोवा	2.50	आमोद-प्रमोद	आवासीय
4.	06 शंकरनगर	2.00	आमोद-प्रमोद	आवासीय
5.	08 जोरा	8.00	कृषि	आवासीय
6.	11 तेलीबांधा	10.00	आमोद-प्रमोद	आवासीय
7.	14 (ब) रायपुर खास	2.00	आमोद-प्रमोद	आवासीय
8.	14 (स) फाफाडीह	1.00	आमोद-प्रमोद	आवासीय
9.	14 (द) फाफाडीह/रायपुर खास	1.00	आमोद-प्रमोद	आवासीय
10.	16 पंडरीतराई	6.50	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक)	आवासीय
11.	18 फाफाडीह	3.00	औद्योगिक	आवासीय
12.	20 टिकरापारा/बोरियाखुर्द	52.00	आमोद-प्रमोद (नगर उद्यान)	आवासीय
13.	22 (ब) देवपुरी	28.00	आमोद-प्रमोद (खेल परिसर)	आवासीय
14.	26 टिकरापारा	2.00	आमोद-प्रमोद (उद्यान)	आवासीय
15.	29 चिरहुलडीह	4.00	सुविधापुंजक (1) वाणिज्यिक (2) आमोद-प्रमोद (3) सार्वजनिक, अर्द्धसार्वजनिक	आवासीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	34 भाटागांव/रायपुरखास	40.00	आमोद-प्रमोद (नगर उद्यान)	आवासीय
17.	36 रायपुरखास	25.00	आमोद-प्रमोद (नगर उद्यान)	आवासीय
18.	37 डुमरतालाब	27.00	आमोद-प्रमोद (नगर उद्यान)	आवासीय
19.	42 हीरापुर	15.00	कृषि	आवासीय
20.	46 कोटा	7.00	आमोद-प्रमोद (उद्यान)	आवासीय
21.	47 सोनडोंगरी	25.00	औद्योगिक	आवासीय
22.	49 (ब) सरोरा	8.00	आमोद-प्रमोद (उद्यान)	आवासीय
23.	50 (ब) गोगांव	3.00	आमोद-प्रमोद (उद्यान)	आवासीय
24.	51 (अ) गोगांव/गोंदवारा	55.00	आमोद-प्रमोद (नगर उद्यान)	आवासीय
25.	52 (अ) खमतराई/गोंदवारा/भनपुरी	130.00	औद्योगिक	आवासीय
26.	52 (स) खमतराई/गोंदवारा	26.00	आमोद-प्रमोद (उद्यान)	आवासीय
27.	54 (अ) खमतराई	8.00	सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक	आवासीय
28.	56 (अ) भनपुरी	20.00	आमोद/प्रमोद (नगर उद्यान)	आवासीय
29.	57 गुढ़ियारी	2.50	सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक	आवासीय
30.	59 कोटा	2.00	आमोद-प्रमोद (उद्यान)	आवासीय
31.	60 रायपुर खास	7.00	आमोद-प्रमोद (उद्यान)	आवासीय
32.	62 शंकर नगर	9.00	आमोद-प्रमोद (नगर उद्यान)	आवासीय
33.	63 शंकर नगर	3.00	आमोद-प्रमोद (उद्यान)	आवासीय
34.	67 (ब) पंडरीतराई	1.00	आमोद-प्रमोद (उद्यान)	आवासीय
35.	68 मोवा/शंकर नगर	8.00	प्रस्तावित रेल्वे स्टेशन	आवासीय
36.	69 रावांभाटा	50.00	कृषि	आवासीय
37.	72 रायपुरा	30.00	कृषि	आवासीय
38.	73 मोवा/पंडरीतराई	1.50	आमोद-प्रमोद (उद्यान)	आवासीय
39.	74 (अ) तेलीबांधा	8.00	आमोद-प्रमोद (खेल का मैदान, उद्यान) एवं शैक्षणिक.	आवासीय
40.	74 (ब) मठपुरैना	4.00	आमोद-प्रमोद (खेल का मैदान, उद्यान) एवं शैक्षणिक.	आवासीय
41.	74 (स) चंगेराभाटा	4.00	आमोद-प्रमोद (खेल का मैदान, उद्यान) एवं शैक्षणिक.	आवासीय
42.	74 (द) कोटा	4.00	आमोद-प्रमोद (खेल का मैदान, उद्यान) एवं शैक्षणिक.	आवासीय
43.	74 (ई) दलदलसिवनी/मोवा	4.00	आमोद-प्रमोद (खेल का मैदान, उद्यान) एवं शैक्षणिक.	आवासीय
44.	74 (फ) सोनडोंगरी	4.00	आमोद-प्रमोद (खेल का मैदान, उद्यान) एवं शैक्षणिक.	आवासीय
45.	74 (ग) टिकरापारा	4.00	आमोद-प्रमोद (खेल का मैदान, उद्यान) एवं शैक्षणिक.	आवासीय
46.	75 (अ) शंकरनगर/तेलीबांधा	7.50	यातायात (मार्ग)	आवासीय
47.	75 (ब) टिकरापारा	2.50	यातायात (मार्ग)	आवासीय
48.	01 भनपुरी	18.50	आमोद-प्रमोद (नगर उद्यान)	औद्योगिक
49.	07 (द) लाभांडीह/शंकरनगर	14.00	आमोद-प्रमोद (नगर उद्यान)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50.	07 (ई) शंकरनगर	8.00	आमोद-प्रमोद (उद्यान)	प्रस्तावित रेल्वे स्टेशन
51.	09 लाभांडीह	173.508	आमोद-प्रमोद (क्षेत्रीय उद्यान)	कृषि
52.	14 (अ) रायपुर खास	22.00	सीटी सेन्टर (वाणिज्यिक)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.
53.	17 मोवा	10.00	आवासीय	वाणिज्यिक
54.	19 फाफाडीह	14.00	आवासीय	वाणिज्यिक
55.	22 (अ) अमलीडीह	76.50	आमोद-प्रमोद (खेल परिसर)	कृषि
56.	23 (ब) डुमरतराई	63.4	आमोद-प्रमोद	कृषि
57.	25 टिकरापारा/देवपुरी	6.50	आवासीय	वाणिज्यिक
58.	27 (ब) टिकरापारा	3.00	आवासीय	वाणिज्यिक
59.	28 रायपुर खास	6.00	आवासीय	वाणिज्यिक
60.	33 बोरियाखुर्द	106.00	डेयरी	कृषि
61.	35 भाटागांव	3.00	आमोद-प्रमोद (उद्यान)	वाणिज्यिक
62.	40 अटारी/चंदनीडीह	235.00	आमोद-प्रमोद (बटानिकल गार्डन)	कृषि
63.	41 (अ) चंदनीडीह/टाटीबंध	40.00	कृषि	औद्योगिक
64.	41 (ब) टाटीबंध	18.00	कृषि	वाणिज्यिक
65.	44 सोनडोंगरी/हीरापुर	7.00	आवासीय	वाणिज्यिक
66.	45 सोनडोंगरी	4.50	आवासीय	वाणिज्यिक
67.	49 (अ) सरोरा	12.00	आमोद-प्रमोद (नगर उद्यान)	औद्योगिक
68.	52 (ब) खमतराई/गोंदवारा	48.00	आमोद-प्रमोद (नगर उद्यान)	वाणिज्यिक
69.	52 (द) खमतराई/गोंदवारा	5.00	आवासीय	वाणिज्यिक
70.	53 (अ) बिरगांव	13.00	कृषि	औद्योगिक
71.	53 (ब) गोंदवारा	5.00	कृषि	औद्योगिक
72.	54 (ब) खमतराई	3.00	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	वाणिज्यिक
73.	55 (अ) रावांभाठा/खमतराई	18.00	आवासीय	वाणिज्यिक
74.	65 रावांभाटा	40.00	आमोद-प्रमोद (नगर उद्यान)	वाणिज्यिक
75.	67 (अ) फाफाडीह	23.00	आमोद-प्रमोद (स्टेडियम एवं प्रदर्शनी स्थल)	वाणिज्यिक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 12 सितम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	कसईपाली	78.049	मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन प्रा. लिमिटेड, बिलासपुर.	2 × 125 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 जुलाई 2006

रा. प्र. क्र. 2/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	पौनी	3.700	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	हाफ शाखा नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2006

प्र. क्र./11/A 82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	सेमरसल प. ह. नं. 19	1.433	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	तोताकापा गहन नाला (फीडर) के शीर्ष कार्य के वियर एवं एफलक्स बंड कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 17 अगस्त 2006

क्रमांक/2121/रीडर/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	रेहुंटाकला प.ह.नं. 22	5.304	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-दुर्ग.	हेम्प व्यपवर्तन दाहिनी तट नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 अगस्त 2006

क्रमांक 2116/रीडर/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	सैहामलगी प.ह.नं. 25	0.259	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम.	पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा सैहामालगी से निंगापुर सड़क निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि वोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 5 सितम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-सरवानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.644 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
45/1	0.016
50/1	0.028
49/2	0.032
61/1	0.020
89/2	0.072
101	0.064
146/5, 189	0.056
145	0.004
54/1	0.080
56	0.024
61/2	0.012
88/2	0.040
100/1	0.024
146/4	0.012
55/1	0.040
58/1	0.024

	(1)	(2)
	88/1	0.044
	88/3	0.044
	102/1	0.008
योग	20	0.644

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- सरवानी जलाशय के नहर कार्य हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 12 जून 2006

क्रमांक-2 अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खुटरापारा, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.35 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	5	0.25
	54/2	0.01
	55	0.09
योग	3	0.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-गांवरी सेतु पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 जून 2006

क्रमांक-3 अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मोहरसोप, पं. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.51 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	252	0.10
	442	0.16
	246	0.25
योग	3	0.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-ओड़गी बिहारपुर मार्ग पर बरंगा सेतु पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है

सरगुजा, दिनांक 16 जून 2006

क्रमांक-4 अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ.ग.)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-पियुरी, प. ह. नं. 70, छिन्दिया, प. ह. नं.-70

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.745 + 1.53=6.275 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम-पियुरी	
277/2	0.06
277/3	0.02
282	0.01
283	0.02
286	0.11
385	0.01
391/1	0.02
392	0.01
393	0.06
395	0.09
397	0.15
398	0.04
400	0.02
402	0.18
403	0.07
408	0.06
432	0.02
433	0.05
434/1	0.09
434/2	0.09
445/3	0.09
445/4	0.03
448/2	0.01
449	0.06
450	0.07
451/1	0.03
451/2	0.03
452	0.01
462	0.02
703	0.05
705	0.10
706/1	0.01
706/2	0.06
706/3	0.09
707	0.02
715/1	0.05
754	0.01
765/1	0.05
767	0.01
769	0.05
770	0.10
772	0.04
773/1	0.01
774	0.01
777	0.06
778	0.05
787/1	0.05
791	0.005
792	0.02
793	0.02
794	0.12
795	0.20
799/1	0.07
799/2	0.11
799/3	0.04
799/4	0.06
799/5	0.04
802	0.08
804	0.04
805	0.03
806	0.02
807	0.07
812	0.06
813	0.09
815/1	0.01
857/2	0.07
865/2	0.06
865/4	0.11

(1)	(2)
868	0.05
881/1	0.06
886	0.02
891	0.02
892	0.17
894	0.03
896/1	0.06
897	0.02
898/1	0.05
898/2	0.05
1082	0.13
1083	0.05
1090	0.16
1091	0.11
494	0.09
404	0.02
योग 84	4.745

ग्राम-छिन्दिया

(1)	(2)
914	0.12
925	0.17
939	0.01
940	0.02
950	0.20
951	0.08
952	0.05
955	0.08
956	0.04
957	0.01
958	0.03
959	0.08
960	0.07
968	0.13
969	0.15
970	0.04
989	0.02
995	0.05
996	0.01
997	0.02
998	0.07
999	0.07
1051	0.01
योग 23	1.53
कुल योग 107	6.275

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पियुरी जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 22 अगस्त 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/30 अ/82 वर्ष 04-05/8205.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-धमतरी
- (ग) नगर/ग्राम-बरारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.86 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
610	0.24

	(1)	(2)
	611	0.62
योग	02	0.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरारी जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 22 अगस्त 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/31 अ/82 वर्ष 04-05/8203.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला- धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-गाड़ाडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	172	0.02
	152	0.03
योग	02	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अमलीडीह उद्वहन सिंचाई योजनांतर्गत माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 22 अगस्त 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/01 अ/82 वर्ष 2005-06/8201.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-नारधा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.985 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/2	0.012
7	0.049
9/1	0.089
13/2	0.012
14	0.020
257/2	0.049
257/1	0.138
229	0.024
218	0.097
216	0.085
214/2	0.045
191	0.053
598	0.004
596/2	0.032
594	0.016
596/1	0.016
592	0.020
590	0.045
583	0.049
585/2	0.053
582	0.032

(1)	(2)
521	0.045
योग 22	0.985

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पैरी बायीं तट नहर के नारधा वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 22 अगस्त 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/02 अ/82 वर्ष 2005-06/8199.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-कुल्हाड़ीकोट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.076 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
94/1	0.158
53/1	0.186
52/1, 52/3	0.158
52/2	0.090
51	0.081
45	0.118
46/4	0.024
46/2	0.146
47	0.146
48	0.098
9	0.020
10	0.384
14/1	0.181
14/4	0.008
1/1	0.278
योग 16	2.076

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - अमलीडीह उद्वहन सिंचाई योजनांतर्गत माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 22 अगस्त 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/03 अ/82 वर्ष 2005 06/8193.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-डूमरपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.88 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
832	0.03
911	0.02
833	0.01
914	0.02
906	0.07
907	0.02

(1)	(2)
908	0.03
913	0.03
919	0.01
920	0.02
922	0.02
923	0.02
950	0.03
1017	0.11
924	0.02
925	0.02
1060	0.12
928	0.03
931	0.03
935	0.02
937	0.06
938	0.15
942	0.06
943	0.01
947	0.08
955	0.04
964	0.08
948	0.03
951	0.01
954	0.03
1070	0.08
965	0.06
967	0.02
1021	0.04
1022	0.04
1023	0.04
1024	0.06
1061	0.09
1065	0.05
1064	0.02
1068	0.12
1090	0.01
1091	0.02
योग 43	1.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अमलीडीह उदवहन सिंचाई योजनांतर्गत माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 22 अगस्त 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/06 अ/82 वर्ष 2005-06/8195.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.69 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
171	0.06
170	0.03
275	0.02
169	0.03
248	0.04
274	0.02
168	0.02
232	0.02
264	0.02
167	0.03
176	0.04
177	0.02
231	0.03
250	0.02
251	0.04
253	0.04
263	0.03
278	0.01
279	0.02
294	0.02
295/2	0.04

(1)	(2)
296	0.01
295/1	0.08
योग 23	0.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महानदी सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. पी. एस. नेताम, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक 10/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-पथर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.087 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
279/1	0.012
209/5	0.081
306	0.008
291/2	0.154
278/2	0.036
250/2	0.117
309/6	0.040
251/2	0.093
6/3	0.061
248	0.154
299/1	0.271
249/2	0.032
278/3	0.121
290/1	0.146
4/1	0.081
12/2	0.121
290/2	0.142
277	0.081
251/4	0.073
309/7	0.057
250/3	0.040
301/1	0.166
योग 22	2.087

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है लोवर गोन व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 जुलाई 2006

रा. प्र. क्र. 22/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मुंगेली

(ग) नगर/ग्राम-देवाकर, प. ह. नं.-44

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.712 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	83	0.081
	111/1	0.113
	121/1	0.162
	122	0.040
	127/1, 3	0.081
	127/2	0.081
	127/5	0.154
योग	7	0.712

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहभट्ठा,-बासिन मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्र. 6-अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं.-7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.385 हेक्टेयर.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	458/1	0.016
	458/2	0.146
	458/5	0.036
	458/4	0.032
	457/4	0.045
	459	0.061
	507/8	0.049
योग		0.385

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सल्का सिंचाई उद्वहन योजना के माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्र. 7-अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-कुरवार, प. ह. नं.-3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.272 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
185/1	0.061
185/2	0.065
185/3	0.049

(1)	(2)
186/2	0.024
190	0.053
191/3	0.045
171/2	0.053
192/2	0.089
193/3	0.117
217/5	0.016
228/1	0.061
229/3	0.028
194/1	0.097
217/1, 218/1, 219/2	0.036
214/11	0.105
214/2	0.061
214/6	0.073
214/10	0.036
214/5	0.202
216	0.190
213/4	0.040
217/3	0.077
218/2	0.032
220/1, 221	0.073
223/1	0.077
225	0.097
231/1	0.061
226/5	0.101
227	0.405
229/1	0.081
229/2	0.024
231/2	0.186
214/7	0.085
217/7	0.020
229/5, 229/8	0.162
229/7	0.028
228/2	0.061
229/11	0.028
217/8	0.024
219/6	0.028
232	0.121
योग	3.272

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खुंटाघाट व्यपवर्तन योजना के अटइडा माइनर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्र. 9-अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-करवा, प. ह. नं.-4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.963 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
362/1	0.182
362/3	0.109
381/1	0.259
380/1	0.089
371/1	0.036
371/4	0.045
380/3	0.077
371/2	0.045

(1)	(2)
383/1	0.121
योग	0.963

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खोंगसरा व्यपवर्तन के अटड्डा माइनर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्र. 13-अ/82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-सलका, प. ह. नं.-7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.544 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
151/21	0.024
150/9	0.105
151/8	0.113
151/17	0.089
151/5	0.113
162/1	0.057
162/10	0.096
162/14	0.057
162/5	0.057
162/4	0.061
162/3	0.129
163/7	0.057
163/2	0.105
163/1	0.206
163/24	0.077
163/11	0.198
योग	1.544

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है सल्का उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्र. 14-अ/82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-रिगरिगा, प. ह. नं.-1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.243 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
100/8/1	0.243
योग	0.243

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है खोंगसरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्र. 15-अ/82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-कोटा
(ग) नगर/ग्राम-तुलुफ, प. ह. नं.-1
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.061 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
138/1/21	0.243
138/1/20	0.243
138/22	0.162
129/6	0.121
138/1 ठ/2, 127/3	0.049
138/1 ट	0.243
योग	1.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खोंगसरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्र. 16-अ/82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-कोटा
(ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं.-7
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.778 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
392/2	0.045
292/3	0.178
1199, 1203	0.182
295	0.008
331/1	0.101
332/1	0.045
332/5	0.020
332/3	0.045
333/4	0.040
333/12	0.040
333/13	0.032
1202/1	0.081
337/2	0.012
1198	0.057
1171	0.008
1191	0.049
1192	0.049
1188/1	0.020
1189	0.028
1190	0.065
1141	0.494
1375/1	0.069
1375/6	0.049
1375/8	0.061
योग	1.778

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सल्का उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्र. 18-अ/82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं.-7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.698 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
400/8	0.077
399/8	0.028
399/4	0.028
222/8	0.109
399/1, 399/2	0.081
315/4	0.279
222/16	0.053
222/15	0.040
397/2	0.016
397/8	0.049
393/5	0.069
246/1	0.138
246/4	0.526
248/1	0.024
250/1	0.267
250/2	0.113
311	0.279
313	0.146
315/10	0.158
315/6	0.121
315/3	0.218
257/2	0.061
222/9	0.093
315/2	0.182
258/1	0.304
315/13	0.089
330	0.093
292/1	0.162
207/1	0.045
292/2	0.121
296/1	0.089
296/2	0.057
285	0.134
278	0.008
280/2	0.190
215	0.[illegible]36
279/1	0.008
279/2	0.194
258/5	0.061
222/12	0.170
256/8	0.085
256/9	0.028
257/3	0.049
222/14	0.121
222/6	0.081
222/11	0.040
222/5	0.040
216	0.101
207/2	0.117
207/3	0.008
203	0.401
206/5 ख	0.040
206/4	0.020
205	0.012
200/1	0.036
202	0.182
1670	0.121
योग	6.698

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है मल्का उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर हेतु

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 30 अगस्त 2006

क्रमांक 6608/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगढ़

(ग) नगर/ग्राम-रामपुर, प.ह.नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.290 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	64/1	0.127
	64/2	0.129
	65/1	0.129
	65/2	0.024
	64/3	0.189
	62	0.161
	125	0.405
	69	0.607
	70/2	0.140
	70/1	0.004
	71/4	0.041
	59/2	0.024
	58	0.088
	124/2	0.008
	127	0.607
	128	0.441
	257	0.040
	256	0.121
	247	0.405
	248/1	0.080
	246	0.160
	245	0.160
	244	0.120
	243	0.080
योग	24	4.290

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खातू टोला बैराज के शीर्ष कार्य एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 सितम्बर 2006

क्रमांक 6864/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-छुईखदान

(ग) नगर/ग्राम-बुंदेली, प.ह.नं. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल-16.04 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
49/1	0.12
50/1	0.26
50/2	0.24
56	0.73
57/2	0.05
66	0.25
68	0.12

(1)	(2)
70	0.30
72	0.02
75	0.01
76	0.15
77	0.25
78	0.23
81	0.18
67	0.01
103/2	0.30
110	0.11
111/1	0.43
111/2	0.43
112/3	0.17
117	0.02
119	0.10
120	0.17
122	0.14
138	0.02
139	0.07
141/1	0.33
141/2	0.33
233	0.20
234	0.13
235	0.25
236	0.06
239/1	0.35
239/2	0.20
240	0.06
243	0.01
244	0.08
245/1	0.63
245/3	0.10
245/4	0.28
245/5	0.10
245/6	0.43
246	0.14
247/3	0.01
338	0.40
339	0.40
346	0.61
347	0.60
350/1	0.26
350/2	0.27
357	0.15
358/1	0.50
359	0.01
360	0.55
361	0.01
364/1	0.52
367	0.25
481	0.07
482	0.68
543	0.07
544	0.07
545	0.12
546	0.14
547	0.03
548	0.25
549	0.0[illegible]
553	0.07
557	0.15
558	0.20
559	0.25
560	0.05
561	0.30
562	0.05
568	0.0[illegible]
योग	16.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— [illegible] जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 सितम्बर 2006

क्रमांक 6865/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-छुईखदान

(ग) नगर/ग्राम-मौहाभाटा, प.ह.नं. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.93 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
149/1	0.10
163	0.50
164/1	0.10
165/4	0.50
166	0.05
317	0.15
320/1	0.05
320/2	0.25
321	0.01
322/2	0.16
322/3	0.26
322/4	0.15
335/3	0.15
335/4	0.50
336/1	0.05
336/2	0.50
337	0.45
योग	3.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पंडरिया जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 16 जून 2005

क्रमांक 111/अ.वि.अ./भू-अ./प्र.क्र. 1/अ-82/ वर्ष 2003 04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-तिल्दा

(ग) नगर/ग्राम-आलेसूर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.085 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
792	0.061
786/2	0.069
782/3	0.202
120/3	0.036
92, 93	0.032
89	0.130
82/1	0.276
82/2	0.174
82/3	0.101
125	0.028
782/1	0.093
123	0.036
106/2	0.081
122/2	0.081
122/3	0.077
90	0.073

(1)	(2)
116/1009	0.247
115	0.194
106/1	0.061
81	0.126
105/9, 105/10	0.182
105/4	0.081
105/1, 105/6	0.162
104/1	0.158
83/1	0.202
83/3	0.122
योग 29	3.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-आलेसूर जलाशय निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा
बी-99, मेन रोड, समता कालोनी, डॉ. पांडे नर्सिंग होम के पास रायपुर छ.ग.

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2006

कार्यालयीन आदेश क्र. 119/06.—शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चलाये गये विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्त शिशिक्षु ज्येष्ठ संपरीक्षकों एवं विभागीय कर्मचारियों के लिये विभागीय अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग 1 एवं 2 दिनांक 15-05-06 से 19-05-06 तक आयोजित की गई. शिशिक्षु ज्येष्ठ संपरीक्षकों एवं विभागीय कर्मचारियों के प्राप्तांक के आधार पर निम्नांकित परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किये जाते हैं:—

अ—भाग-2

क्र. (1)	रोल नंबर (2)	कर्मचारी का नाम व पद (3)
1.	201	श्री रामचरण ध्रुव, शिशिक्षु ज्येष्ठ संपरीक्षक
2.	202	श्री दिनेश कुमार, शिशिक्षु ज्येष्ठ संपरीक्षक
3.	203	श्री जेरोम एक्का, सहायक संपरीक्षक
4.	204	श्री शारदा दास मानिकपुरी, सहायक संपरीक्षक
5.	205	श्री शेख वहाबुद्दीन कुरैशी, सहायक संपरीक्षक
6.	207	श्री केशो राम रामटेके, सहायक संपरीक्षक
7.	209	श्री दिलिप कुमार, सहायक संपरीक्षक
8.	211	सुश्री शोभा कोल्हे, सहायक संपरीक्षक

(1)	(2)	(3)
9.	212	श्री प्रदीप कुमार सोनकर, शिशिक्षु ज्येष्ठ संपरीक्षक
10.	213	श्री देवचरण पटेल, सहायक संपरीक्षक
11.	214	श्री अगुस्टीन केरकेट्टा, सहायक संपरीक्षक
12.	216	श्री देवान राम साहू, सहायक ग्रेड-2
13.	218	श्री प्रमोद कुमार साय, सहायक संपरीक्षक
14.	219	श्री जागेश्वर प्रसाद राठिया, सहायक संपरीक्षक
ब—भाग-1		
1.	101	श्री दादूराम ध्रुव, शिशिक्षु ज्येष्ठ संपरीक्षक
2.	105	श्री अथनास तिर्की, सहायक संपरीक्षक
3.	106	श्री गिरधारी राम पैकरा, सहायक ग्रेड-2
4.	108	श्री कौशल किशोर सिंह, सहायक ग्रेड-3
5.	111	श्री मालिक राम ध्रुव, सहायक ग्रेड-3
6.	116	श्री बोरसन खलखो, सहायक संपरीक्षक

अजयपाल सिंह,
संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी निर्वाचन), धमतरी

धमतरी, दिनांक 10 अगस्त 2006

क्रमांक 431 क/मंडी निर्वाचन/27/2006.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मंडी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति 19-नगरी के लिए निम्नानुसार विशेष आमंत्रित सदस्यों का नाम-निर्दिष्ट किया गया है :—

क्रम	नाम	पता	विभाग/संस्था का नाम जिनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री गुलजार सिंह मरकाम	ग्राम गहनासियार, पोस्ट नवागांव तहसील नगरी, जिला-धमतरी.	जिला पंचायत, धमतरी
2.	श्री गोपाल सिंह ध्रुव	ग्राम रायपारा पोस्ट केरेगांव, तहसील नगरी जिला-धमतरी.	जिला सह. केन्द्रीय बैंक, धमतरी
3.	श्री बन्नूराम साहू	ग्राम पोस्ट नगरी, जिला-धमतरी	कृषि उपज मंडी, नगरी
4.	श्री डी. एस. पटेल	सहा. परियोजना अधिकारी, नगरी	उप-संचालक (कृषि), धमतरी

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	रिक्त	–	सह. विपणन संस्था, नगरी
6.	रिक्त	–	जिला सह. कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, धमतरी.

धमतरी, दिनांक 10 अगस्त 2006

क्रमांक 433 क/मंडी निर्वाचन/27/2006.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मंडी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति 18-कुरूद के लिए निम्नानुसार विशेष आमंत्रित सदस्यों का नाम-निर्दिष्ट किया गया है :—

क्रम (1)	नाम (2)	पता (3)	विभाग/संस्था का नाम जिनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया है (4)
1.	श्रीमति झुलबाई साहू	ग्राम चटौद, पोस्ट दरबा, तह. कुरूद जिला-धमतरी.	जिला पंचायत, धमतरी
2.	श्री श्याम बैस	ब्राम्हण पारा, सोहागा मंदिर के पास, रायपुर	जिला सह. केन्द्रीय बैंक, धमतरी
3.	श्री भारत राम साहू	दानीपारा, कुरूद	कृषि उपज मंडी समिति, कुरूद
4.	श्री डी. एल. हठीले	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, कुरूद	उप-संचालक (कृषि), धमतरी
5.	रिक्त	–	सहकारी विपणन संस्था, धमतरी
6.	रिक्त	–	जिला सह. कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, धमतरी.

धमतरी, दिनांक 10 अगस्त 2006

क्रमांक 435 क/मंडी निर्वाचन/27/2006.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मंडी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति 17-धमतरी के लिए निम्नानुसार विशेष आमंत्रित सदस्यों का नाम-निर्दिष्ट किया गया है :—

क्रम (1)	नाम (2)	पता (3)	विभाग/संस्था का नाम जिनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया है (4)
1.	श्री चन्दूलाल साहू	ग्राम खरतूली, पोस्ट पोटियाडीह तह. एवं जिला-धमतरी.	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, धमतरी

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री मयाराम साहू	ग्राम शंकरदाह, तहसील एवं जिला-धमतरी	कृषि उपज मंडी समिति, धमतरी
3.	श्रीमती खिलेश्वरी किरण	ग्राम भानपुरी, तहसील एवं जिला-धमतरी	जिला पंचायत, धमतरी
4.	श्री यशवंत केर्राम	अनुविभागीय अधिकारी (कृषि), धमतरी	उप-संचालक (कृषि)
5.	रिक्त	-	सहकारी विपणन संस्था, धमतरी
6.	रिक्त	-	जिला सह. कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, धमतरी.

बी. पी. एस. नेताम,
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी), जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ. ग.)

कांकेर, दिनांक 6 मार्च 2006

क्रमांक 36/मंडी निर्वाचन/अधि.-2005-06.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, 36-कांकेर के लिए निम्नानुसार उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये गये हैं :—

क्रमांक (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पदनाम जिसके लिए निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1.	अनिरूद्ध	उपाध्यक्ष	ग्राम पोस्ट अमोड़ा, तहसील कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर.

कांकेर, दिनांक 6 मार्च 2006

क्रमांक 37/चारामा/मंडी निर्वाचन/अधि.-2005-06.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, चारामा के लिए निम्नानुसार उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये गये हैं :—

क्रमांक (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पदनाम जिसके लिए निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1.	श्री राजेन्द्र कुरेटी	उपाध्यक्ष	ग्राम पोस्ट तुएगहन, तहसील चारामा जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ. ग.)

कांकेर, दिनांक 6 मार्च 2006

क्रमांक 38/मंडी निर्वाचन/अधि.-2005-06.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, संबलपुर-38 के लिए निम्नानुसार उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये गये हैं :—

क्रमांक (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पदनाम जिसके लिए निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1.	श्री गुहरूराम	उपाध्यक्ष	ग्राम हरहरपानी, पोस्ट- केवटी, तहसील-भानुप्रतापपुर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर. (छत्तीसगढ़)

जी. एस. धनंजय,
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कबीरधाम

कबीरधाम, दिनांक 30 अगस्त 2006

क्रमांक/184/स्था. निर्वा./मण्डी/अधि./06.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि छ. ग. राज्य कृषि उपज मण्डी अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 5 के अंतर्गत एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक बी/8/निर्वा./2005-06/6451 दिनांक 14-03-2006 में जारी निर्देशानुसार कबीरधाम जिले के मण्डी समिति 30-कवर्धा हेतु निम्नलिखित नाम-निर्देशित सदस्यों का नाम अधिसूचित किया जाता है :—

धारा/उपधारा	विभाग का नाम	नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पदनाम
11 (1), ङ	सहकारी विपणन संघ, कवर्धा	श्री अजीत सिंह चन्द्रवंशी, अध्यक्ष
11 (1), च.	कृषि विभाग, कवर्धा	श्री ए. के. शुक्ला, वरि. कृ.वि.अधि., कवर्धा
11 (1), छ.	कृषि उपज मंडी समिति, कवर्धा	श्री धर्मेन्द दास बघेल, ग्राम घोठिया
11 (1), ज.	केन्द्रीय सहकारी बैंक, कवर्धा	शाखा प्रबंधक, कृषि शाखा, कवर्धा
11 (1), झ.	भूमि विकास बैंक, कवर्धा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (तदर्थ रूप से)
11 (1), ञ.	जिला पंचायत, कवर्धा	श्री मुकेश अग्रवाल, जि. पंचा. सदस्य

कबीरधाम, दिनांक 30 अगस्त 2006

क्रमांक/186/स्था. निर्वा./मण्डी/अधि./06.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि छ. ग. राज्य कृषि उपज मण्डी अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 5 के अंतर्गत एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक बी/8/निर्वा./2005-06/6451 दिनांक 14-03-2006 में जारी निर्देशानुसार कबीरधाम जिले के मण्डी समिति 31-पण्डरिया हेतु निम्नलिखित नाम-निर्देशित सदस्यों का नाम अधिसूचित किया जाता है :—

धारा/उपधारा	विभाग का नाम	नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पदनाम
11 (1), ङ	सहकारी विपणन संघ, पंडरिया	श्री आर. एस. नायक, स. वि. अधिकारी
11 (1), च.	कृषि विभाग, पण्डरिया	श्री एस. पी. सिंह, वरि. कृ. वि. अ., बोड़ला
11 (1), छ.	कृषि उपज मंडी समिति, पंडरिया	श्री साधुराम डिंडोरे, पंडरिया
11 (1), ज.	भूमि विकास बैंक	शाखा प्रबंध, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, पण्डरिया.
11 (1), झ.	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, पंडरिया	श्री ए. के. श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी कृषि शाखा, पण्डरिया.
11 (1), ञ.	जिला पंचायत, कबीरधाम	श्री उत्तम मार्सकोले, जि. पंचा. सदस्य

सोनमणि वोरा,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 31st August 2006

ELECTION PETITION No. 28/1999

SHRI BHUPENDRA SINGH VS SHRI RAJENDRA SHUKLA (SINCE DEAD)

No. 19654/D.A./E.P. 28/99.—That, on 12-01-1999, Petitioner-Shri Bhupendra Singh S/o Ram Saran Singh, aged about 49 years, R/o Village & Post : Bodtra-Kala, Tahsil : Lormi, District-Bilaspur has filed an Election Petition, challenging the election of Shri Rajendra Shukla from 111, Kota, Legislative Assembly Constituency before the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur and after formation State of Chhattisgarh, the petition is transferred to this High Court.

That, before the conclusion of trial of the Election Petition, the sole respondent Shri Rajendra Shukla, S/o Sidhanth Shukla, aged about 70 years R/o Sidha Sadan, Mungeli, Bilaspur expired on 20-08-2006.

This notice is being published, in the terms of Section 116 of the Representation of Peoples Act, 1951 that if any person is interested in opposing this Election Petition he may; within fourteen days of publishing of this notice; apply to be substituted in place of respondent Shri Rajendra Shukla to oppose the petition.

By order of High Court,
ASHOK PANDA, Additional Registrar (J).